संख्या: 75/2024/1430/छप्पन-2024-180/2000

प्रेषक,

कुमार हर्ष,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 03 सितम्बर, 2024

विषय: प्रदेश की विभिन्न हवाई पट्टियों पर तैनात कर्मचारियों का सदुपयोग निदेशालय एवं नवनिर्मित हवाई पट्टियों पर किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 138/ ना0उ0नि0/65जी-2012/2023 दिनांक 24 अगस्त, 2023, पत्र संख्या 98/ना0उ0नि0/65जी-2012/2024 दिनांक 10 जुलाई, 2024 एवं पत्र संख्या 117/ना0उ0नि0/65जी-2012/2024 दिनांक 01 अगस्त, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से प्रदेश की विभिन्न हवाई पट्टियों पर तैनात कर्मचारियों का सदुपयोग निदेशालय एवं नवनिर्मित हवाई पट्टियों पर किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- प्रदेश की विभिन्न हवाई पट्टियों पर तैनात कर्मचारियों का सदुपयोग निदेशालय एवं नवनिर्मित हवाई पट्टियों पर किए जाने के सम्बन्ध में मा0 मन्त्रि-परिषद द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2024 को निम्नलिखित निर्णय लिए गए है :-

1. शासनादेश संख्या-1068/छप्पन-2008-180-2000/टी0सी0 दिनांक 19 अगस्त, 2008 एवं शासनादेश संख्या-1333/छप्पन-2001-180/2000 दिनांक 01 अक्टूबर, 2001 द्वारा विभिन्न हवाई पट्टियों पर हस्तान्तरित कार्मिकों को, जिनकी वर्तमान में कुल संख्या-25 है, राजस्व विभाग से पुनः नागरिक उड्डयन विभाग में प्रत्यावर्तित कर लिया जाए तथा उनकी सेवाएं निदेशक, नागरिक उड्डयन के नियंत्रण में रखी जाए। उक्त प्रत्यावर्तित कर्मियों के वेतन भत्तों का भुगतान अनुदान संख्या-50 के स्थान पर नागरिक उड्डयन विभाग के अनुदान संख्या-38 राजस्व लेखाशीर्षक 3053-नागर विमानन-02-विमानपत्तन-102-हवाई अड्डा-03-हवाई पट्टियों के रख-रखाव तथा प्रबन्धन (आयोजनेत्तर) नागरिक उड्डयन निदेशालय से किया जाए।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. हवाई पट्टी पर मानव शक्ति की आवश्यकता परिवर्तनीय होने के दृष्टिगत निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग को अधिकृत कर दिया जाए कि वे शासकीय कार्यहित में जनशक्ति का समुचित उपयोग करने के लिए आवश्यकतानुसार निदेशालय के कार्मिकों को निदेशालय से हवाई पट्टी, एक हवाई पट्टी से दूसरी हवाई पट्टी और हवाई पट्टी से निदेशालय में सम्बद्ध/ स्थानान्तरित कर सकते हैं।

3. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तान्तरित हो चुकी हवाई पट्टियों पर स्वीकृत पदों को समाप्त करते हुए इन हवाई पट्टियों पर कार्यरत पदधारकों का उपयोगितानुसार निदेशालय में अथवा उन हवाई पट्टियों पर जहां किन्हीं कारणोंवश वर्तमान में कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, पर उपयोग निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा किया जाएगा।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की विभिन्न हवाई पट्टियों पर तैनात कर्मचारियों का सदुपयोग निदेशालय एवं नवनिर्मित हवाई पट्टियों पर किए जाने के लिए मा0 मन्त्रि-परिषद द्वारा लिए गए उपर्युक्त निर्णयों के आलोक में अग्रत्तर आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कुमार हर्ष
विशेष सचिव

पृ0सं0-75/2024/1430(1)/छप्पन-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/न्याय/कार्मिक/नियोजन/राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।